न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 53 / 2025
निर्णय दिनांक : 13.08.2025
दायरा दिनांक: 07.04.2025
जीसीएमएस संख्या– 2025 / 96

1. भगवती देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति कुम्हार प्रजापत निवासिनी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थिनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थिनी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थितः–

1. **श्री हरीश चन्द्र पारीक अधिवक्ता प्रार्थिनी।**
2. **अप्रार्थिनी राजपैरोकार।**

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि रोही ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ की स्थायी निवासी है। प्रार्थीनी के खातेदारी में तहसील सुजानगढ़ के रोही ग्राम गुडावड़ी के खसरा नम्बर 1070 / 1017 तादादी 1.8714 है0 एवं रोही ग्राम सालासर के खसरा नम्बर 780 / 153 तादादी 0.4425 है0, 781 / 157 तादादी 0.8092 है0 एवं 783 / 322 तादादी 0. 9610 कुल किता तीन कुल तादादी 2.2127 है0 दर्ज स्थित है। प्रार्थिनी का नाम उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भगवानी पत्नी जगदीश प्रसाद अंकित है। जबकि प्रार्थिनी का सही व वास्तविक नाम भगवती पत्नी जगदीश प्रसाद जाति कुम्हार(प्रजापत) है। समस्त अन्य दस्तावेजों यथा मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में भी प्रार्थिनी का सही नाम भगवती ही दर्ज है।

प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थिनी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण

प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि में प्रार्थिनी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थिनी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिनी का नाम भगवानीदेवी पत्नी जगदीष प्रसाद दर्ज है। जबकि प्रार्थीनी के दस्तावेजों में नाम भगवतीदेवी पत्नी जगदीश प्रसाद ह। भगवतीदेवी व भगवानी देवी दोनों एक ही व्यक्ति है, अलग—अलग नहीं है। अतः प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भगवानी के स्थान पर भगवतीदेवी किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जन आधार, मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड आदि में भी प्रार्थिनी का नाम में भगवती देवी पत्नी मुकन सिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थिनी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि वाके रोही ग्राम गुडावड़ी के खाता संख्या 353 खसरा नम्बर 1070/1017 तादादी 1.8714 है0 एवं रोही ग्राम सालासर के खाता संख्या 453 खसरा नम्बर 780/153 तादादी 0.4425 है0, 781/157 तादादी 0.8092 है0 एवं 783/322 तादादी 0.9610 कुल किता तीन कुल तादादी 2.2127 है0 खातेदारी में दर्ज खातेदार भगवानीदेवी के स्थान पर भगवतीदेवी दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़